

बजट घोषणा वर्ष 2023-2024

क्र.सं.	बजट घोषणा	घोषणा विवरण
1.	32 (11)	“स्कूली विद्यार्थियों को रोडवेज बसों में उनके शिक्षण संस्थान से निवास स्थान तक दी जा रही छूट की परिधि को 50 किलोमीटर से बढ़ाकर 75 किलोमीटर किया जाना प्रस्तावित है।”
2.	48.00.0	राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता, राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में प्रथम विजेता तथा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), एन.सी.सी. कैडेट्स व स्काउट्स एण्ड गाइड्स को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।
3.	62.01.0	जिला स्तर पर Road Safety Task Force का गठन joint team के रूप में किया जाना प्रस्तावित है। इस Task Force में प्रशासन, पुलिस, परिवहन तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारी सम्मिलित होंगे।
4.	62.02.0	समस्त बाल वाहिनियों (School Buses) में अनिवार्य रूप से कैमरे लगाये जाने हेतु प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।
5.	62.03.0	जयपुर व जोधपुर में राजकीय Automated Fitness Testing Stations खोले जायेंगे।
6.	81.01.0	महिलाओं को रोडवेज की साधारण बसों में राज्य की सीमा में किराये में दी जा रही छूट को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किये जाने की घोषणा।
7.	99.00.0	प्रदेश में दूरस्थ क्षेत्रों तक आमजन को आवागमन की सुविधा मिल सके, इस दृष्टि से मैं, रोडवेज (RSRTC) के बेड़े में एक हजार नई बसें Service Model पर शामिल करने की घोषणा।
8.	99.01.0	Private बसों के माध्यम से भी अधिकाधिक सुविधा मिल सके, इस हेतु 2 हजार 500 नए Routes के परमिट दिये जायेंगे।
9.	100.01.0	शहरों में Electric Vehicles को बढ़ावा देने के लिए 75 करोड़ रुपये की लागत से 250 Fast EV चार्जिंग स्टेशन लगाये जाने प्रस्तावित हैं।
10.	101.00.0	लोहावट –जोधपुर में केन्द्रीय बस स्टेण्ड बनाये जायेंगे।
11.	101.01.0	अरांई (किशनगढ़)–अजमेर व घूमचक्कर चौराहा (श्रीडूंगरगढ़)–बीकानेर में रोडवेज बस स्टेण्ड बनाये जायेंगे।
12.	101.02.00	सादुलशहर–श्रीगंगानगर में बस डिपो खोला जायेगा।
13.	130.00.0	प्रदेश के प्रसिद्ध लकड़ी मेलों में सम्मिलित होने वाले यात्रियों को रोडवेज की साधारण एवं एक्सप्रेस बसों के किराये में छूट को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूँ। इससे प्रदेश के विभिन्न मेलों यथा— कैलादेवी— करौली, झील का बाड़ा—भरतपुर, श्रीरामदेवरा—जैसलमेर, दरगाह उर्स, पुष्कर—अजमेर, खाटूश्यामजी—सीकर, सालासर बालाजी—चूरु, गोगामेडी—हनुमानगढ़, बेणेश्वरधाम—डूंगरपुर, रणथम्भौर गणेशजी—सवाई माधोपुर, डिग्गी कल्याण जी—टोंक,

क्र.सं.	बजट घोषणा	घोषणा विवरण
		भर्तृहरि/पाण्डूपोल-अलवर, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा-श्रीगंगानगर एवं फाल्गुन (मुकाम)-बीकानेर हेतु यह छूट मिल सकेगी।”
14.	198.05.0	<p>विगत दो वर्षों में लायी गई Amnesty योजनाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए और अधिक छूट दिया जाना प्रस्तावित है, साथ ही Court Case Pending होने की स्थिति में भी विभिन्न Amnesty योजनाओं का लाभ Case Withdraw करने की शर्त पर देय होगा। ये Amnesty योजनाएं 30 सितम्बर, 2023 तक प्रभावी रहेंगी—</p> <p>ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी – वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी स्कीम-2023 लाया जाना प्रस्तावित है –</p> <p>(i) मोटर वाहनों पर 31 दिसम्बर, 2022 तक के बकाया कर को जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति को माफ किया जायेगा।</p> <p>(ii) नष्ट हो चुके वाहनों के संबंध में राहत देने के लिये उनकी बकाया देय राशि जमा होने पर, नष्ट होने की तिथि के पश्चात् देय कर, ब्याज एवं शास्ति को माफ किया जायेगा।</p> <p>(iii) दिनांक 24 फरवरी, 2021 से पूर्व आर.सी. सरेण्डर किये गये वाहनों को दिनांक 30 जून, 2023 तक आर.सी. रिलीज कराये जाने पर नियत अवधि के बाद देय कर, ब्याज एवं शास्ति को माफ किया जायेगा।</p> <p>(iv) खनन – परिवहन क्षेत्र के संबंध में राहत देने के लिये ई-रवन्ना के माध्यम से 31 जनवरी, 2023 तक प्राप्त ओवरलोडिंग के प्रकरणों में देय प्रशमन राशि (Compounding Fee) पर 95 प्रतिशत तक छूट दी जायेगी।</p>
15.	199.01.0	प्रदेश के युवाओं को और अधिक सम्बल देने हेतु युवाओं को अपने शिक्षण अथवा रोजगार स्थल तक स्वयं के साधन से आवागमन के लिये दोपहिया वाहन क्रय करने में राहत की दृष्टि से राज्य में पंजीकृत होने वाले 100 सी.सी. तक के दुपहिया वाहनों पर वर्तमान में देय एकबारीय कर में 50 प्रतिशत छूट देते हुये 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।
16.	199.02.0	राज्य में महिलाओं द्वारा संचालित ऑटोरिक्षा/टैक्सी/मैक्सी कैब फीस को निःशुल्क करने की घोषणा।
17.	224.0.0	चारपहिया वाहनों में वर्तमान में डीजल एवं पेट्रोल वाहनों पर अलग-अलग एकबारीय कर देय है। डीजल वाहनों पर इस कर को 2 प्रतिशत कम करते हुये पेट्रोल के समकक्ष किया जाना प्रस्तावित है।
18.	225.0.0	Strong Hybrid वाहन ईंधन खपत एवं वायु प्रदूषण में कमी लाने में अधिक दक्ष होते हैं, अतः ऐसे Non- Transport चौपहिया वाहनों को भी एकबारीय कर में 25 प्रतिशत की छूट दिया जाना प्रस्तावित है।
19.	226.0.0	बजट-2021 में वाहनों के स्वामित्व हस्तांतरण पर देय अतिरिक्त एकबारीय कर में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई थी। इस छूट को पुनः प्रदान करते हुए दिनांक 31

क्र.सं.	बजट घोषणा	घोषणा विवरण
		मार्च, 2024 तक स्वामित्व हस्तांतरण पर भी लागू किया जायेगा।
20.	227.0.0	राज्य में ग्रामीण एवं अन्य मार्गों पर संचालित स्टेज कैरिज बसों को देय कर में 10 प्रतिशत की कमी करना प्रस्तावित।
21.	228.0.0	राज्य में संचालित नगरीय बस सेवा हेतु नई CNG बसें लाने अथवा पूर्व से संचालित बसों को CNG में परिवर्तित करने पर मोटर वाहन कर से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।
22.	229.0.0	अन्य राज्यों में पंजीकृत एवं राजस्थान में असाईनमेंट (Assignment) के लिये आने वाले वाहनों पर वर्तमान में देय एकबारीय कर में 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की छूट को बढ़ाकर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष किया जायेगा। यह छूट अधिकतम 8 वर्ष के लिये दी जायेगी।
23.	230.0.0	राज्य में संचालित एकबारीय कर जमा कराने वाले परिवहन वाहनों के लिये बार-बार "कर चुकता प्रमाण-पत्र" (Tax Clearance Certificate- TCC) प्राप्त करने की व्यवस्था को समाप्त करना प्रस्तावित है।
24.	231.0.0	प्रदेश में e-Licence एवं e-Registration Certificate लागू जाना प्रस्तावित है। इससे आमजन को इस हेतु स्मार्ट कार्ड के लिए देय फीस की राशि 200 रुपये की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी।
25.	241.00.0	परिवहन विभाग में कार्यकुशलता अभिवृद्धि व प्रवर्तन (Enforcement) की गतिविधियों को मजबूत करने हेतु 100 नये वाहन Service Model पर उपलब्ध कराये जाएंगे।
26.	241.01.0	सरदारशहर, चूरु में उप- परिवहन कार्यालय तथा जोधपुर में एक अतिरिक्त RTO कार्यालय खोले जाना प्रस्तावित।
27.	298.00.0	कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को राजस्थान रोडवेज की साधारण एवं एक्सप्रेस बसों में राज्य की सीमा के भीतर निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।
28.	338.06.0	नोहर-हनुमानगढ़ में रोडवेज बस डिपो खोला जायेगा।
29.	338.07.0	निवाई- टोंक बस स्टैण्ड का आधुनिकीकरण किया जायेगा।
30.	358.00.0	सड़क सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्रों/स्कूलों के निर्धारित प्रशिक्षण वाहनों को मोटर वाहन कर से मुक्त किया जायेगा।
31.	391.00.0	पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने की दृष्टि से Tour Operators Associations (IATO/ RATO) से मान्यता प्राप्त Tour Operators द्वारा संचालित वातानुकूलित पर्यटक लज्जरी कोचों को मोटर वाहन कर से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।
32.	392.00.0	सांवलिया सेठ-चित्तौड़गढ़ में जलझूलनी एकादशी मेले को भी 50 प्रतिशत बस किराया छूट योजना में सम्मिलित किया जायेगा।
33.	402.00.0	प्रदेश में कृषकों की आय बढ़ाने एवं Non-Agriculture Season में आय के विकल्प प्रदान करने के लिए ट्रैक्टरों के व्यावसायिक पंजीयन पर लगने वाले एकबारीय शुल्क को 6 हजार से घटाकर 500 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, नियमित फिटनेस सर्टिफिकेट फीस, Inspection Fees व ग्रीन टैक्स को 2 हजार 300 रुपये से घटाकर 200 रुपये किया जायेगा।

क्र.सं.	बजट घोषणा	घोषणा विवरण
34.	428.14.00	लालसोट-दौसा में उप परिवहन कार्यालय खोला जायेगा।
35.	428.14.01	कुचामन-नागौर व कुशलगढ़-बांसवाड़ा में बस डिपो एवं बहरोड़-अलवर में रोडवेज बस स्टैण्ड बनाया जायेगा।
36.	428.14.02	सिरोही रोडवेज बस स्टैण्ड में मरम्मत व विकास कार्य करवाये जायेंगे।